

absorption to be made		
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b> 1. Additional Director -Chairman; 2. Deputy Director (Rehab) -Member; 3. Concerned Head of Department -Member.	Not applicable.

[F. No.A.11018/37/2016-MH.II/NCD-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2021

**सा.का.नि. 153.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और "सफ़रदरजंग अस्पताल (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1973" को, जहाँ तक उनका संबंध स्टीवर्ड के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़रदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्टीवर्ड के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़रदरजंग अस्पताल, स्टीवर्ड (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(iii) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(iv) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टीवर्ड	2* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से पद को भरने की स्थिति में 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु-सीमा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। <b>टिप्पण 1</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल प्रबंधन में डिप्लोमा। <b>वांछनीय अनुभव:</b> किसी प्रतिष्ठित होस्टल/कैंटीन/मेस में स्टीवर्ड के रूप में एक वर्ष का अनुभव। <b>टिप्पण-1:</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

<p>कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण-2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्ति :</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपये) या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की</p>	<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष;</li> <li>2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;</li> <li>3. उपनिदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।</li> </ol>	<p>लागू नहीं होता।</p>

अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं.ए.11018/20/2021-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2021

**G.S.R. 153.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of “The Safdarjung Hospital (Class III posts) Recruitment Rules , 1973”, in so far as relates to the post of Steward, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Steward in the Ministry of Health and Family Welfare , Safdarjung Hospital ,New Delhi, namely:

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, Steward ( Group C post), Recruitment Rules , 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**—No person, -

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Steward	*2 ( 2021) *subject to variation dependent on Workload	General Central Service, Group 'C' Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25500-81100)	Not applicable	Between 18 years and 25 years In case of post being filled up by all-India open competition, it would be between 18 years and 27 years of age. (The upper age

					<p>limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates of India and not the closing date prescribed for those in Assam Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).</p>
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential :</b></p> <p>i. 12<sup>th</sup> Class Pass from a recognised Board.</p> <p>ii. Diploma in Hotel Management from a recognised University or Institute.</p> <p><b>Desirable Experience:</b> One year experience as a Steward in a hostel/canteen/mess of a repute.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be</p>	Not applicable	Two years	By deputation failing which by direct recruitment.

<p>recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation</b></p> <p>Officers of the Central Government or State government or Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -3 ( Rs. 21700 -69100 ) or equivalent in the parent cadre or department ; and</p> <p>(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The Period of Deputation including in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman;</li> <li>2. Head of the concerned department, Safdarjang hospital -Member;</li> <li>3. Deputy Director (Medical Hospital ), Directorate General Health Services -Member.</li> </ol>	<p>Not applicable</p>

appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. A.11018/20/2021-MH.II]

GANESH KUMAR, Under Secy.